



1901

दूरभाष— 2286709
2286710

नव घेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ—226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

पत्रांक : 1361 / 05 / 76 / एक / 2015-16
सेवा में,

दिनांक : 6 जुलाई 2015

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभिकरण
जनपद—बिजनौर।

विषय : वित्तीय वर्ष 2015-16 में सूडा द्वारा आपके जनपद (झूडा) को अल्पसंख्यक बाहुल्य वस्तियों तथा मलिन वस्तियों में स्वीकृत परियोजनाओं की धनराशि का प्रेषण।

महोदय,

अभिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 में आपके जनपद को शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य वस्तियों तथा मलिन वस्तियों में इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु (अनुदान संख्या—37/83) में निम्नलिखित विवरण के अनुसार धनराशि अवमुक्त कर दी गई है:

धनराशि का प्रेषण (लाख रु0 में)			
बैंक का नाम	खाता संख्या	आईएफएससी कोड	धनराशि
एचडीएफसी बैंक	50100038570263	IFSC Code HDFC0000863	181.308
(धनराशि लाख रु0 में)			

क्र0 सं0	जनपद का नाम	अल्पसंख्यक/मलिन	निकाय का नाम	वस्ती/वार्ड का नाम	प्रथम किश्त की धनराशि का प्रेषण
1	बिजनौर	मलिन वस्ती—83 बजट	न0पा0परि0 अफजलगढ़	मौहल्ला गौहर अली खां (बाल्मीकि वस्ती) में श्री शाहबाज के मकान से श्री नसीम के घर, केशर के मकान तक इण्टरलाकिंग रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	6.259
2	बिजनौर	मलिन वस्ती—83 बजट	न0पा0परि0 अफजलगढ़	मौहल्ला गौहर अली खां (बाल्मीकि वस्ती) में सड़क से श्री ईदरीश के प्लाट तक इण्टरलाकिंग रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	3.101
3	बिजनौर	मलिन वस्ती—83 बजट	न0पा0परि0 अफजलगढ़	मौहल्ला गौहर अली खां (कुन्दन कालोनी) में श्री शफीके के घर से एम0ए0आर0 मेमोरियल जूनियर हाईस्कूल तक इण्टरलाकिंग रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	3.381
4	बिजनौर	मलिन वस्ती—83 बजट	न0पा0परि0 अफजलगढ़	मौहल्ला गौहर अली खां (कुन्दन कालोनी) में श्री रईस अहमद के घर से बादशाह साहब के घर तक इण्टरलाकिंग रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	4.239
5	बिजनौर	मलिन वस्ती—83 बजट	न0पा0परि0 अफजलगढ़	मौहल्ला गौहर अली खां (कुन्दन कालोनी) में श्री पष्पू पठान के मकान से आरा मशीन होते हुये रोड तक इण्टरलाकिंग रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	9.142
6	बिजनौर	मलिन वस्ती—83 बजट	न0पा0परि0 अफजलगढ़	मौहल्ला गौहर अली खां (कुन्दन कालोनी) में श्री जलील खां के मकान से मस्जिद की ओर इण्टरलाकिंग रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	6.753
7	बिजनौर	मलिन वस्ती—83 बजट	न0पं0 जलालाबाद	मौ0 प्रेमनगर में (हरिजन वस्ती) में नहर वाली मस्जिद से पुलिया तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	10.636
8	बिजनौर	मलिन वस्ती—83 बजट	न0पं0 जलालाबाद	मौ0 प्रेमनगर में (हरिजन वस्ती) में पुलिया से नहर की ओर तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	8.110
9	बिजनौर	मलिन वस्ती—83 बजट	न0पं0 जलालाबाद	मौ0 प्रेमनगर में (हरिजन वस्ती) में देवता से पुलिया तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	10.343



190/2

दूरभाष— 2286709
2286710

नव चेतना केन्द्र, 10 अशोक गार्ड, लखनऊ-226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

क्रो सं	जनपद का नाम	अत्यसंख्यक/मलिन	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	प्रथम किश्त की धनराशि का प्रेषण
10	विजनौर	मलिन बस्ती-83 बजट	न0प0 जलालाबाद	मौ0 प्रेमनगर में (हरिजन बस्ती) में पुलिया से बारात घर की ओर इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	6.326
11	विजनौर	मलिन बस्ती-83 बजट	न0प0परि0 शेरकोट	मौ0 फतेहनगर में धर्मशाला से ईदगाह तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	6.957
12	विजनौर	मलिन बस्ती-83 बजट	न0प0परि0 शेरकोट	मौ0 फतेहनगर में श्री यादराम के घर से ईदगाह तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	9.916
13	विजनौर	मलिन बस्ती-83 बजट	न0प0 मण्डावर	मौ0 बाजार शम्भा में श्रीमती वीरो डीलर शाप से भी ओमप्रकाश/नत्थन के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	0.792
14	विजनौर	मलिन बस्ती-83 बजट	न0प0 मण्डावर	मौ0 बाजार शम्भा में श्री चन्द्रपाल के घर से श्री विजय की दुकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	3.029
15	विजनौर	मलिन बस्ती-83 बजट	न0प0 मण्डावर	मौ0 बाजार शम्भा में श्री चन्द्र के मकान से श्री रविदास धर्मशाला तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	6.597
16	विजनौर	मलिन बस्ती-83 बजट	न0प0 मण्डावर	मौ0 बाजार शम्भा में रविदास धर्मशाला से लालपुर चौराहे तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	7.309
17	विजनौर	मलिन बस्ती-83 बजट	न0प0 मण्डावर	मौ0 बाजार शम्भा में श्री राम अवतार के घर से श्री सीताराम सिंह के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	1.975
18	विजनौर	मलिन बस्ती-83 बजट	न0प0प0 धामपुर	मौ0 सूर्य नगर कालोनी में रैपिड कम्प्यूटर सेन्टर से श्री धनश्याम सिंह के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	5.018
19	विजनौर	मलिन बस्ती-83 बजट	न0प0प0 धामपुर	मौ0 सूर्य नगर कालोनी में श्री सतवीर सिंह के घर से श्री धनश्याम सिंह के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	2.585
20	विजनौर	मलिन बस्ती-83 बजट	न0प0प0 धामपुर	मौ0 सूर्य नगर कालोनी में श्री बाबू सिंह के घर से रैपिड कम्प्यूटर सेन्टर तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	5.458
21	विजनौर	मलिन बस्ती-83 बजट	न0प0प0 धामपुर	मौ0 साकेत बिहार में श्री सतपाल सिंह के घर से (एम0ए0 मोटर्स वर्क्स के सामने) श्री इन्द्रजीत सिंह के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	1.468
22	विजनौर	मलिन बस्ती-83 बजट	न0प0प0 धामपुर	मौ0 साकेत बिहार में श्री संजय भटनागर के घर से श्री देवेन्द्र सिंह के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	1.299
23	विजनौर	मलिन बस्ती-83 बजट	न0प0प0 धामपुर	मौ0 साकेत बिहार में सी0सी0 रोड से श्री विरेन्द्र कुमार चौहान के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	1.499
24	विजनौर	मलिन बस्ती-83 बजट	न0प0प0 धामपुर	मौ0 न्यू हिन्दू कालोनी में श्री जोगेन्द्र सिंह फौजी के घर से श्री आदेश लेखपाल व श्री बाला जी स्टोर तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	1.286
25	विजनौर	मलिन बस्ती-83 बजट	न0प0प0 धामपुर	मौ0 न्यू हिन्दू कालोनी में श्री फूल सिंह के घर से श्रीमती मिथलेश देवी के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	4.142



19/3

दूरमाप— 2286709
2286710

नव चेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ—226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

क्र० सं	जनपद का नाम	अल्पसंख्यक/मलिन	निकाय का नाम	वस्ती/वार्ड का नाम	प्रथम किश्त की धनराशि का प्रेषण
26	विजनौर	मलिन बस्ती-83 बजट	न0पा०प० धामपुर	मौ० न्यू हिन्दू कालोनी में श्रीमती मिथ्लेश देवी के घर से श्री अवनीश कुमार (शिट्टू) के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	5.667
27	विजनौर	मलिन बस्ती-83 बजट	न0पा०प० धामपुर	मौ० न्यू हिन्दू कालोनी में श्री भीम सिंह के घर से श्री राजवीर सिंह के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	4.400
28	विजनौर	मलिन बस्ती-83 बजट	न0प० साहनपुर	मौ० रवापुरी में श्री रईस के घर से श्री मौ० हनीफ, श्री जाहिद के घर से शमीम के प्लाट तक और श्री शमीम के घर से महताब के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	6.348
29	विजनौर	मलिन बस्ती-83 बजट	न0प० साहनपुर	मौ० रवापुरी में श्री राजाराम के घर से श्री अहसान, श्री भूरे के घर से श्री अहसान और श्री मक्खन प्रजापति के घर से महबूब के प्लाट तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	5.156
30	विजनौर	मलिन बस्ती-83 बजट	न0प० साहनपुर	मौ० रवापुरी में श्री तैय्यब के घर से श्री मुखिया के घर की ओर व श्री जुल्फकार के घर से श्री अफजल और श्री सलीम के घर से श्री नफीस के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	5.859
31	विजनौर	मलिन बस्ती-83 बजट	न0पा०प० नगीना	मौ० रेती में विवेक मुंशी के घर से श्री राजू के घर, मदन के घर से रिन्कू के घर मौहम्मद अहमद के घर से अफजाल, मौ० तसीम के घर से सरताज के घर व लिंक गली में इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	3.955
32	विजनौर	मलिन बस्ती-83 बजट	न0पा०प० नगीना	च्वाईस रेस्टोरेन्ट से श्री सरदार हरयाल सिंह एड० के घर की ओर इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	4.666
33	विजनौर	मलिन बस्ती-83 बजट	न0पा०प० विजनौर	मौ० जाटान में (31 नग) शौचालय का निर्माण कार्य।	8.363
34	विजनौर	मलिन बस्ती-83 बजट	न0पा०प० विजनौर	मौ० जाटान में (08 नग) शौचालय का निर्माण कार्य।	6.637
35	विजनौर	मलिन बस्ती-83 बजट	न0पा०प० विजनौर	मौ० जाटान (बाल्मीकि बस्ती) में प्रवेश के घर से श्री राजेश के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	2.637
	योग				181.308

उपरोक्त अवमुक्त धनराशि का व्यय शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य वस्तियों तथा मलिन वस्तियों में सी०सी० रोड अथवा इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजनान्तर्गत निम्न दिशा निर्देशों के अनुसार ही किया जाये:-

- 1— उ०प्र० सरकार के द्वारा जारी शासनादेशों के अनुलेप शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य वस्तियों तथा मलिन वस्तियों में सी०सी० रोड अथवा इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु स्वीकृत डी०पी०आ०२०/परियोजना के अनुसार कार्य कराया जायें। प्रत्येक कार्य आरम्भ होने के पूर्व एवं कार्य समाप्त होने के पश्चात फोटोग्राफ प्रत्येक दशा में सम्बन्धित पत्रावली में रखा जाये।
- 2— स्थानीय स्तर पर जो भी कार्य कराये जायें उनकी सूचना सम्बन्धित नगर निकाय एवं अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर और सूचना देकर सुनिश्चित कर लिया जाये ताकि एक ही कार्य दो विभागों द्वारा टेकअप न कर लिया जाये।
- 3— प्रश्नगत परियोजना में प्रस्तावित कार्य आरम्भ करने से पूर्व परियोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति आवश्य प्राप्त कर ली जाये तत्पश्चात ही कार्य आरम्भ कराया जाये।



1908

दूरभाष— 2286709

2286710

नव चेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

- 4— अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि परियोजनान्तर्गत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य श्रोत्र से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है जिससे कि शासकीय धन का दुरुपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में प्रश्नगत धनराशि तत्काल अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 5— स्थानीय स्तर पर जो भी परियोजनायें या कार्य कराये जायें उनमें पारदर्शिता के साथ गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये एवं राज्य सुनिश्चित किया जाये।
- 6— प्रश्नगत परियोजनाओं में स्वीकृत की गयी धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुरितका के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत निर्माण कार्य सम्पादित कराते हुये किया जाये।
- 7— परिसम्पत्तियों के सृजन उपरान्त समय से उन्हें सम्बन्धित नगर निकायों को हस्तान्तरित कर दिया जाये ताकि भविष्य में समुचित रख-रखाव में कोई बाधा उत्पन्न न होने पाये। इसके लिये आवश्यक है कि परिसम्पत्तियों के सृजन के पूर्व ही स्थानीय निकायों से तदाशय की सहमति ले ली जाये।
- 8— योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2015-16 में अवश्य करा लिया जाये तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र अथवा अवशेष धनराशि अभिकरण को प्रत्येक दशा में उपलब्ध करायी जायें। निर्धारित अवधि के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र/अवशेष धनराशि अभिकरण को नहीं प्राप्त होती है तो शासन द्वारा निर्धारित व्याज अवमुक्त की गई धनराशि पर देय होगा।
- 9— उक्त धनराशि दूड़ा द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य क्रमशः इस प्रकार कराये जायें कि वे प्रश्नगत उपलब्ध धनराशि से ही समय से पूर्ण हो जायें।
- 10— प्रश्नगत परियोजना में भुगतान के पूर्व यथानियम केन्द्र, राज्य व स्थानीय करों की स्त्रोत पर कटौती सम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्रतिबन्धों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा एवं निर्माण में गुणवत्ता के निर्धारित मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।
- 11— अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग उसी परियोजन के लिये किया जायेगा जिसके लिये वह स्वीकृत की गई है। किसी प्रकार का व्यवर्तन अनुमन्य न होगा, शासन द्वारा अवमुक्त की गई धनराशि के कम में धनराशि जनपद की अवमुक्त की जा रही कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में जनपद के सम्बन्धित अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे।
- 12— शासन द्वारा उक्त परियोजना में आगणन के सापेक्ष प्रथम किश्त की पूर्ण धनराशि अवमुक्त की गयी है, परन्तु कोषागार से 50 प्रतिशत की धनराशि आहरित कर जिसमें अनुमन्य सेन्टेज की धनराशि को रोककर शेष धनराशि अवमुक्त की जा रही है। उक्त धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार गुणवत्तापरक कार्य सम्पादित कराते हुये 75 प्रतिशत के उपयोगिता प्रमाण पत्र व्यय की गई धनराशि के सापेक्ष भौतिक प्रगति सहित निर्धारित प्रपत्र पर सूचना अभिकरण को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें जिससे शेष धनराशि का कोषागार से आहरण कर जनपद को अवमुक्त किया जा सके।

भवदीय,

(लाल प्रताप सिंह)
वित्त नियन्त्रक(लाल प्रताप सिंह)
वित्त नियन्त्रक

पत्रांक एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

- परियोजना निदेशक, जिला नगरीय विकास अभिकरण, सम्बन्धित जनपद।
- अपर निदेशक, सूडा।।।
- अधिकारी अभियन्ता—सूडा।।।
- कम्प्यूटर सेल / लेखा विभाग—सूडा।।।